दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ - दिल्ली प्रदेश

कार्यालय का पता : दुकान नं. 2 3, सी 4, डी.डी.ए., मार्केट, प्रथम तल, लोरेन्स रोड, केशवपुरम, दिल्ली 35
E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com Website ....

अध्यक्ष / प्रधान
शिवकुमार गर्ग
मो. 9212567435
ई मेल skg7435@gmail.com

महासचिव
सीताराम
मो. 9312238830
ई मेल ....

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
जगदीश प्रसाद शर्मा
मो. 9810406015
ई मेल ....

उपाध्यक्ष
लोकेश अग्रवाल (नई दिल्ली)
मो. 9811153175
ई मेल ....

अंकुर [illegible] (ईस्ट)
मो. 956[illegible]28537
ई मेल ....

के.पी. [illegible] (नॉर्थ ईस्ट)
मो. 99101[illegible]
ई मेल ....

[illegible]
मो. 9211608223
ई मेल ....

प्रेम चन्द [illegible] (वेस्ट)
मो. 9212526640
ई मेल ....

[illegible] (नॉर्थ वेस्ट)
मो. 9311170648
ई मेल ....

विनोद [illegible] (साउथ वेस्ट)
मो. 9810678574
ई मेल ....

अशोक [illegible] (साउथ)
मो. 9810316311
ई मेल ....

सचिव
डी.एम. गुप्ता
मो. 9311385566

भिखारी लाल
मो. 9278203088

कृष्ण बिहारी बंसल
मो. 9810630303

कैशियर
प्रेम कुमार गोयल
मो. 92137455[illegible]5

क्रमांक संख्या DSRDS/2015/22 दिनांक ....

दिनांक 24-07-2015

सेवा में ,

श्री मान अरविन्द केजरीवाल मुख्यमंत्री महोदय ,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली
ए- 322, तृतीय तल, दिल्ली सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय – 10 जुलाई 2015 को नवभारत टाइम्स दिल्ली द्वारा मांगे गए सुझाव "दिल्ली को लाईसेंस राज से मुक्त करना है" के संदर्भ में राशन की उचित दर दुकान के लाईसेंस रिन्यूवल की समाप्ति हेतु सुझाव-

महोदय ,

उपरोक्त सम्बंधित विषय को समय अनुसार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आपका यह एक प्रशंसनीय कदम है जिसका हमारी संस्था जनहित में आपके द्वारा मांगे गए सुझावों पर सर्व प्रथम "आपकी सरकार-दिल्ली सरकार "को धन्यवाद देती है, दिल्ली में उचित दर दुकानदारों के लाइसेंस नवीनीकरण को समाप्त करने के उन कारणों का उल्लेख करने का प्रयास सरकार की मंशा पर प्रस्तुत कर रहा हूँ :-

यह कि दिल्ली सरकार के खाद्य एवं संभरण विभाग द्वारा विगत सन् 2006 से आधी अधूरी नियमावली पर प्रत्येक तीसरे वर्ष उचित दर दुकानों का लाईसेंस नवनीकरण किया जा रहा है जिसका विवरण उचित दर दुकानदारों ने एक ही स्वर में अपनी व्यथा को इस प्रकार वर्णित किया है जो इस प्रकार है : -

1.यह कि लाइसेंस के रिन्यूवल की तारीख से एक माह पूर्व हमें अपने जोनल ऑफिस / सहायक आयुक्त कार्यालय में जाकर रिन्यूवल के लिए 500 रुपये की फीस कटवानी होती है जिसके लिए 100-200 रुपये तक की नाजायज अदायगी कर बलि का बकरा बनना पड़ता है जोकि भ्रष्टाचार का पहला पड़ाव है इसलिए इस प्रकार की रिन्यूवल फीस का कोई महत्त्व नहीं है

2.यह की रिन्यूवल फीस कटवाने के बाद इसके लिए कार्यालय से हमें कोई भी परफोर्मा(PERFORMA) नहीं दिया जाता और हमें आयुक्त कार्यालय के बाहर बैठे दलालो के चक्कर में पड़कर मात्र 80 रुपये के कागजात की फाइल 400-500 रुपये में खरीद कर उनकी जेब भरनी पड़ती है यह भी हमपर अतार्किक बोझ है और इस प्रकार की प्रताड़ना की द्रष्टि से यह नवीनीकरण प्रकिर्या निरस्त होने योग्य है.

3.यह की इस रिन्यूवल की फाइल को मंडल कार्यालय में जमा करने के लिए डायरी करने हेतु सम्बंधित लिपिक को 200-500 रुपये की सेवा भेंट देनी पड़ती है इस प्रकार ही प्रत्येक सर्कल की प्रकिर्या शुरू होती है! इस कारण ऐसे रिन्यूवल का कोई महत्त्व नहीं होता, जिसकी नीव ही भ्रष्टाचार पर रखी जाती है.

4.यह कि दुकान के साइज, कोटा , मकान मालिक के बयान/NOC आदि दस्तावेज जमा करने के बाद FPS HOLDER द्वारा निरीक्षक (INSPACTOR) को इनकी भौतिक जाँच करने के नाम पर 5000-10000 रुपये देने पड़ते हैं तब कही जाकर फाइल खाद्य एवं संभरण अधिकारी (F.S.O.) के पास पहुँचती है. विडम्बना यह है कि क्या

दुकान की समय-समय पर होने वाली भौतिक जाँच में उपरोक्त बातो को नहीं देखा जाता इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि यह एक मिथ्या प्रकिर्या है अत: इसे शीघ्र अति शीघ्र समाप्त कर देना चाहिए क्योकि यह लेन-देन दुकानदार और निरीक्षक के बीच में भ्रष्टाचार के सेतु का कार्य करता है इसलिए यह रिन्यूवल समाप्त होने योग्य है.

3.यह कि इसके पश्चात खाद्य एवं संभरण अधिकारी(F.S.O.) लाइसेंसी के हस्ताक्षरों को सत्यापित करने हेतु एवं उपरोक्त जमा दस्तावेजो व सूचनाओ को उचित ठहराने हेतु अपनी फ़ीस 5000 से 10000 रुपये वसूलता है यदि राशन दुकान ठेके पर चल रही होती है तो यह राशि 10000 से 15000 हो जाती है जिससे इस विभाग के भ्रष्ट अधिकारियो और ऐसे दुकानदारों के बीच सुविधापूर्वक कालाबाजारी का खेल चलता है अत: इस प्रकिर्या का समाप्त होना आवश्यक है अन्यथा जो दुकानदार मालिक की हैसियत से अपनी दुकान खुद चला रहे है उन्हें भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें भी इस प्रकिर्या से कई बार गुजरना पड़ता है.

4.यह कि इसके पश्चात यह फाइल खाद्य एवं संभरण अधिकारी से सहायक आयुक्त के कार्यालय मे पहुँचती है और इसके पश्चात विभाग कि ओर से इससे सम्बंधित कोई भी लिखित सूचना राशन दुकानदार को नहीं भेजी जाती है जिस कारण दुकानदार सहायक आयुक्त कार्यालय के चक्कर काटता है और सम्बंधित कार्यालय के कर्मचारी इसके एवज में 2000 से 4000 रुपये तक वसूल कर जबानी तारीख तय कर देते है और जब उचित दर दुकानदार पुन: नियत तिथि व नियत समय पर सहायक आयुक्त कार्यालय में जाते है तो चपरासी को फाइल निकलने हेतु 500 रुपये देने पड़ते है तब जाकर फाइल सहायक आयुक्त के पास पहुँचती है.

चूंकि जबसे दिल्ली में CONTROL ORDER-1981 लागू हुआ है उसके बाद से वर्ष 2005 तक किसी भी राशन दुकानदार को लाइसेंस रिन्यू करने की आवशयकता नहीं थी परन्तु वर्ष 2006 में श्री के. एस. मेहरा(आयुक्त खाद्य एवं संभरण विभाग) द्वारा नई पालिसी बनाकर यह भ्रष्टाचार का खेल शुरू किया गया!

आशा ही नही हमे पूर्ण विश्वास है कि "आपकी सरकार-दिल्ली सरकार" द्वारा माँगे गए सुझावो पर गहन विचार कर तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यो को ध्यान मे रखकर इस मौजूदा नवीनीकरण प्रकिर्या को समाप्त करने का आदेश पारित करेगी! यदि किसी कारण सरकार इस प्रकिर्या को समाप्त करने मे असफल होती है तो दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार उन्मूलन नीति निराधार साबित होगी!

सधन्यवाद

संलग्न:- नवभारत टाइम्स-दिल्ली मे दिए गए ज्ञापन की प्रतिलिपि

प्रेषक

शिवकुमार गर्ग (अध्यक्ष)
दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ –दिल्ली
मो. 9212567435
9868267435
E MAIL:- dsrdsdelhi@gmail.com

NBT नवभारत टाइम्स

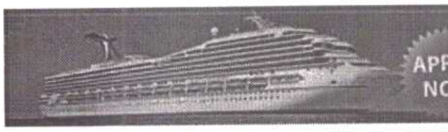
International Maritime Academy
APPLY NOW
GP Rating Course (10th Pass Can Join)
Become A Seaman & Earn Rs.30,000/- Month
Get Jobs In International Shipping Companies
Course Commences On 1st July 2015

दिल्ली 9

कांग्रेस के ज्यादा मेंबर बनाओ... बड़ा पद पाओ

दिल्ली में फिर से उठने का प्लान तैयार

रेहड़ी वालों के लिए सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस

कानपुर शताब्दी का फ्यूल टैंक फटा

संघ लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2015

दिल्ली को लाइसेंस राज से मुक्त करना है

–अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री, दिल्ली

1. वो कौन–कौन से लाइसेंस हैं जिन्हें समाप्त कर देना चाहिए?
2. किन लाइसेंसों का वार्षिक रिन्यूअल समाप्त कर देना चाहिए?
3. लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को कैसे सरल किया जा सकता है?

अपने सुझाव हमें जल्द लिख भेजें।
अंतिम तिथि 25 जुलाई, 2015
ईमेल: vasanthakr@nic.in
पता: ए–322, तीसरा तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार

© ALL RIGHTS RESERVED NBT.
BEST VIEWED WITH 1024 * 768 SCREEN RESOLUTION AND IE 7.0 AND ABOVE